



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 17, गुरुवार, शाके 1942- मई 7, 2020
Vaisakha 17, Thursday, Saka 1942- May 7, 2020

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

आयोजना विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 5, 2020

संख्या एफ17(8)14/डीईएस/रा.ज.आ.यो./अधिसूचना/2019/-राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति का निम्नानुसार गठन करती है, अर्थात:-

क्र.सं.	पदनाम	कार्यकारिणी समिति में पद
1.	प्रभारी शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	अध्यक्ष
2.	वित्त विभाग द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी, जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से अनिम्न हो	सदस्य
3.	विशिष्ट/संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
4.	आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	सदस्य
5.	तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC)	सदस्य
6.	तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य
7.	विशेषाधिकारी, यू.आई.डी., सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य
8.	वित्तीय सलाहकार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग/निदेशक वित्त, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	सदस्य
9.	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	सदस्य सचिव

राज्यपाल की आज्ञा से,
अभय कुमार,
प्रमुख शासन सचिव।

3339

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।